संख्या-[illegible]/69-1-15-[illegible]

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

**नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।** लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-संतकबीर नगर, कन्नौज, मथुरा व चन्दौली की 04 परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-538/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 20 मार्च, 2015, पत्र संख्या-519/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 17 मई, 2015, पत्र संख्या-515/76/एक/आई0एच0 एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 14 मई, 2015 व पत्र संख्या-512/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 14 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-संतकबीर नगर की नगर निकाय-हरिहरपुर की 144 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 90 आवासों की 01 परियोजना हेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु0 447.09 लाख की पुनरीक्षित **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित** मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप देय अन्तर की धनराशि रु0 141.82 लाख एवं अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-कन्नौज की निकाय-छिबरामऊ की 648 आवासों के सापेक्ष 586 आवासों, जनपद-मथुरा की निकाय-कोसीकला की 384 आवासों के सापेक्ष 296 आवासों व जनपद-चन्दौली की निकाय-मुगलसराय की 219 आवासों के सापेक्ष 177 आवासों की 03 पुनरीक्षित परियोजनाओं, पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **शासनादेश संख्या-746/2015/1260/69-1-15-45(बजट)/09, दिनांक 14 जुलाई, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है,** हेतु मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप देय अन्तर की धनराशि क्रमशः रु0 505.37 लाख, रु0 354.66 लाख व रु0 89.19 लाख अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-12 में अंकित उक्त चारों परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि की कुल धनराशि **रु0 1091.04 लाख (रुपये एक करोड़ इक्यानवे लाख चार हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 से शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-2015-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

क्रमशः..........2

2. [illegible] वित्तीय नियम संग्रह भाग-1 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित [illegible] आगणन/आकलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।

4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को वापस की जाने वाली धनराशि को सूडा द्वारा समय से भारत सरकार को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ एवं सम्बन्धित डूडा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश को अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित

क्रमशः.........3

करने का दायित्व सूडा/डूडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत [illegible] में अवमुक्त किश्तों की धनराशि
[illegible] के सम्बन्ध में सूडा/डूडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक
धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/डूडा का होगा।

10 परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में उ0प्र0 के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति
एवं वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेण्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके
बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के
बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की धनराशि पर अपने लेखों का
मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैतावृत्ति/पुनरावृत्ति
न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध)
निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक
अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

15. योजना में अतिरिक्त व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-
74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।

16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तविक रूप से किया जायेगा।

17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। भविष्य में उक्त
परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य
समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि
स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-
1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक
22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो
उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा
सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।

21. योजनाओं हेतु लाभार्थी अंश लाभार्थी से प्राप्त किया जाना सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

22. सूडा/डूडा द्वारा पी0एफ0एम0एस0/ई0एफ0सी0 द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.............4

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-[illegible]/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किए जा रहे हैं [illegible]

भवदीय,

(एस॰पी॰ सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-783/2015/1260 (1)/69-1-15-45(बजट)/09, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, [illegible] इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संतकबीर नगर/कन्नौज/[illegible]।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एस॰पी॰ सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanade

शासनादेश संख्या- [illegible] /89-1-15-45(बजट)/09, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0 सं0 | कम्पोनेंट परियोजनाएं कुल आवासों की संख्या/संरक्षित/ ... आवासों की संख्या। | मूल परियोजना लागत। | अनुमोदित ... आवासों की कुल परियोजना लागत। | स्वीकृत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के आवासों की संख्या। | ... मूल परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति के आवासों की कुल परियोजना लागत। | अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु प्रथम द्वितीय किश्त व शासनादेश के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि। | भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि, जिसे मूल्यवृद्धि की गणना में शामिल नहीं किया गया है। | पी0एस0ए0 ए0ई0/0ई0 एस0एल0सी0 द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित परियोजना लागत। | पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)। | पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान रहित)। | पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष स्वीकृति हेतु मूल्य वृद्धि की कुल धनराशि (केन्द्रांश ... व ... सहित)। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | संतकबीर नगर/खलीलाबाद- 252/144 आवास | 665.45 | 482.09 | 20 | 101.31 | 304.71 | 21.31 | 715.34 | 447.03 | 425.22 | [illegible] |
| 2 | कन्नौज तिर्वा/छिबरामऊ-648 आवास | 1891.24 | 1891.21 (कोई आवास अपेक्षित नहीं है) | 506 | 1425.99 | 1289.37 | 0.01 | 2113.49 | 1911.23 | 1794.71 | [illegible] |
| 3 | मथुरा/कोसीकलां -384 आवास | 881.63 | 881.63 (कोई आवास अपेक्षित नहीं है) | 291 | 673.50 | 589.42 | 0.01 | 1116.34 | 1014.68 | 944.09 | [illegible] |
| 4 | चन्दौसी मुरादाबाद 213/219 आवास | 578.17 | 517.69 | 177 | 418.40 | 508.43 | 111.13 | 644.88 | 521.20 | 486.49 | [illegible] |
| | योग | | | | | | | | | | 1091.04 |

(रुपये एक करोड़ इक्यानवे लाख चार हजार मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।